(5)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2003/ज्येष्ठ 12, 1925

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रासमिशन लाइसेंस देने की पद्धति, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2003 होगा।

(ii) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(iii) बशर्ते कि यदि इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को परियोजना पहले ही प्रगति पर हो तो पहले ही पूरे किए गए चरणों से छूट प्राप्त करने हेतु आयोग से संपर्क किया जाएगा।

2. परिभाषा एवं व्याख्याः

(i) इन विनियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न होः

"अधिनियम" का अर्थ भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 से है।

"करार" का अर्थ कार्यान्वयन करार या जैसा भी मामला हो, ट्रांसमिशन सेवा करार से है।

"बेंचमार्क मूल्य" का अर्थ केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नतम मूल्य की बोली स्वीकार करने के प्रयोजनार्थ निर्धारित ट्रांसमिशन सेवाओं का मूल्य है, जो पावर ग्रिड द्वारा प्रदान की गई इसी प्रकार की सेवा का मूल्य होगा और जिसमें समय-समय पर आयोग द्वारा

प्राधिकृत कोई भी अतिरिक्त प्रभार शामिल होगा।

'बोली' का अर्थ प्रस्ताव हेतु अनुरोध के उत्तर में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव है और जिसमें तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली शामिल होती है।

'केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी' का अर्थ अधिनियम की धारा 27क की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी से है।

'आयोग' का अर्थ विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है।

अधिनियमन शामिल है।

'वित्तीय वर्ष' का अर्थ वर्ष की 1 अप्रैल से परवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक के बारह (12) महीनों की अवधि से है।

बशर्ते कि जहां लाइसेंस 1 अप्रैल के बाद किसी तारीख को दिया गया है उस मामले में लाइसेंसधारी का प्रथम वित्तीय वर्ष लाइसेंस प्रदान किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा और इस तारीख की परवर्ती 31 मार्च को समाप्त होगा।

'भारतीय विद्युत ग्रिड कोड' का अर्थ आयोग द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड से है।

'कार्यान्वयन करार' का अर्थ अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के निर्माण चरण से संबंधित प्रावधानों सहित संविदागत दस्तावेजों से है।

'लाइसेंस' का अर्थ अधिनियम की धारा 27 ग के खंड (1) के अंतर्गत अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के निर्माण, रख-

रखाव एव प्रचालन के लिए आयोग द्वारा दिए गए ट्रासंमिशन लाइसेंस से है।

"लाइसेंसधारी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे आयोग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है।

"न्यूनतम कार्यकरण विनिर्दिष्टियां" का अर्थ परियोजना के लिए आउट-पुट विनिर्दिष्टियों से है।

"न्यूनतम प्रारंभ" का अर्थ परियोजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित क्षमताओं के संदर्भ में तय किए गए वास्तविक कार्य निष्पादन से है जिसे आवेदक/बोलीदाता द्वारा पूरा किया जाना होगा अथवा उससे अधिक निष्पादन करना होगा।

दोनों सहित निविदा दस्तावेज है।

"पावर ग्रिड" का अर्थ पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से है और इसमें उसके उत्तराधिकारी अस्तित्व से है।

"विनियम" का अर्थ इन विनियमों से है।

"अर्हता हेतु अनुरोध" का अर्थ निविदा प्रक्रिया की प्रथम अवस्था में जारी निविदा दस्तावेज है।

"प्रस्ताव हेतु अनुरोध" का अर्थ निविदा प्रक्रिया की द्वितीय अवस्था में जारी निविदा दस्तावेज है।

"तकनीकी बोली" का अर्थ बोली का वह दस्तावेज है जिसमें विद्युत ट्रांसमिशन की कीमत को छोड़कर सभी अन्य पहलुओं के बारे में सूचना मौजूद है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुसार तकनीकी डिजाइन, न्यूनतम कार्य विनिर्दिष्टियां, वित्त पोषण योजना, बोली के लिए शर्तें और अर्हता शामिल की जा सकती है।

"ट्रांसमिशन सेवा करार" का अर्थ अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के

प्रचालन चरण से संबंधित प्रावधानों सहित संविदागत दस्तावेजों से है।

"ट्रांसमिशन सेवा प्रभार" का अर्थ विद्युत ट्रांसमिशन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित तथा लाइसेंसधारी को देय प्रभार से है।

(ii) जब तक संदर्भ प्रतिकूल न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्ति और जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित न किया गया है किंतु विद्युत नियमों एवं भारतीय विद्युत ग्रिड कोड मे परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ है जो उन्हें विद्युत नियमों और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में दिया गया है।

(iii) लाइसेंस में शर्तों, भागों एवं अनुसूचियों के प्रसंग का अर्थ, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, लाइसेंस की शर्तों, भागों और अनुसूचियों के प्रसंग के अनुकूल ही होगा।

5. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों का चयनः

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, पावरग्रिड से भिन्न एजेंसियों द्वारा चलाई जाने वाली अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों का निर्धारण केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई परियोजना के चयन की प्रक्रिया और मानदण्ड के अनुसार करेगी।

6. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के कार्यान्वयन का तरीकाः

(i) पावरग्रिड से भिन्न एजेंसियों द्वारा अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों का कार्यान्वयन किए जाने के लिए प्रतिस्पर्धी तरीका या संयुक्त उपक्रम तरीका अंगीकार किया जा सकता है।

(ii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी उपयुक्त मामलों में संयुक्त उपक्रम (जे.वी.) तरीका अंगीकार करने में कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। जहां खुली प्रतिस्पर्धा प्रत्याशित नहीं है या जहां परियोजना गंभीर प्रकृति की है वहां संयुक्त उपक्रम तरीका अंगीकार करने के लिए दिशा निर्देशक घटक एक शर्त होंगे।

बशर्ते कि संयुक्त उपक्रम की विधि के मामले में पावरग्रिड संयुक्त उपक्रम कंपनी का एक साझेदार होगा।

7. प्रतिस्पर्धी तरीका:

(i) प्रतिस्पर्धी तरीके द्वारा अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेंसी के चयन के लिए अर्हता हेतु अनुरोध और प्रस्ताव हेतु अनुरोध चरणों का अनुकरण किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी प्रत्येक परियोजना के लिए अर्हता हेतु अनुरोध और प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अनुसूची-1 में यथा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशक घटकों का अनुसरण करेगी।

मानकीकृत अर्हता के लिए अनुरोध और प्रस्ताव हेतु अनुरोध के दस्तावेजों का उपयोग बोली प्रक्रिया के लिए किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां अनुसूची-1 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशक घटकों से इतर तरीका अपनाना आवश्यक समझा जाता हो, आयोग का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

8. अर्हता हेतु अनुरोध का दस्तावेज

(i) प्रतिस्पर्धी तरीके से क्रियान्वयन एजेंसी का चयन खुली निविदा आधार पर बोलियां आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धी विधि से किया जाएगा। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी परियोजना के आकार और विगत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी अथवा वैश्विक प्रतिभागिता के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिकाओं में अर्हता हेतु अनुरोध के लिए सूचना प्रकाशित करेगी। यह आवेदन पर अर्हता हेतु अनुरोध भेजने की पेशकश करेगी तथा अर्हता हेतु अनुरोध प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख का उल्लेख करेगी।

(ii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉडल अर्हता हेतु अनुरोध दस्तावेजों में व्यापक परियोजना विवरण और दी जाने वाली सेवाओं के कार्य-क्षेत्र निहित होंगे तथा उनमें यह उल्लेख होगा कि

(क) कार्यान्वयन एजेंसी अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के वित्त, निर्माण, प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगी,

(ख) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को परियोजना की संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी,

(ग) करार की अवधि समाप्त होने पर कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को ट्रांसमिशन प्रणाली, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार अंतरित करेगी।

प्रारम्भिक स्तर के प्रति आंका जाएगा।

2. अर्हता हेतु अनुरोध की अवस्था में अर्हक पक्षों का चयन करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा यथा अपेक्षित किसी अन्य मानदण्ड के अलावा निम्नलिखित आकलन मानदण्ड अपनाया जाएगाः-

(क) ट्रांसमिशन प्रणाली (लाइन और उप-स्टेशन) के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में तथा आवेदकों/बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त सहित आवश्यक संसाधन जुटाने में विगत अनुभव;

(ख) निवल कीमत, बिक्री और अथवा किसी अन्य उपयुक्त मापक द्वारा आकलित वर्तमान वित्तीय और विधिक स्थिति तथा इसमें प्रतिष्ठित बैंकों से एक पत्र/प्रमाण-पत्र यह सत्यापित करते हुए शामिल होगा कि आवेदक/बोलीदाता और/अथवा संघ के सदस्यों का उनके पास खाता है तथा उनकी वित्तीय स्थिति ठोस है; और

(ग) पूर्व का बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.टी. अनुभव तथा वित्तीय समापन की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तावित परियोजना जितने आकार की परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने की योग्यता।

3. मूल्यांकन मानदण्ड निष्पक्ष होंगे। अर्हता हेतु अनुरोध के आकलन में शर्त और विवेक न्यूनतम होगा।

4. आवेदक स्वतः ही अर्हता हेतु अनुरोध की अवस्था में अर्हक हो सकता है।

5. यदि कम से कम तीन पक्षों ने अर्हता हासिल की हो तभी केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी प्रस्ताव हेतु अनुरोध की अवस्था के लिए बोली की प्रक्रिया शुरू करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट शर्त में ढील देने के लिए आवेदन करने पर आयोग अपने विवेक से इसमें ढील दे सकता है और

2. प्रस्ताव हेतु अनुरोध के दस्तावेज में प्रत्याशित बोलीदाता की जरूरत की सभी सूचना होगी ताकि बोली निश्चित की जा सके। यह प्रत्याशित बोलीदाता को उसकी बोली के समर्थन में अपेक्षित सभी सूचना के बारे में भी बताएगा। यह सूचना उतने तक ही कड़ाई से सीमित रखी जाएगी जितना उल्लिखित मूल्यांकन मानदण्ड के प्रति बोलियों का उचित मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है।

3. मॉडल प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेजों में, दी जाने वाली सेवओं के कार्य-क्षेत्र, बोलीदाता के दायित्व और बोलीदाता तथा केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के मध्य जोखिमों एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करना होगा और इसमें

(क) छूट दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर दर सहित मूल्यांकन करने के मानदंडों के विस्तृत विवरण के साथ बोली की शेष प्रक्रिया और समय सारणी से संबंधित सूचना होगी।

(ख) डी.पी.आर. पर आधारित परियोजना की न्यूनतम कार्य विनिर्दिष्टियां और तकनीकी विनिर्दिष्टियां, इंटरफेस मामले, बोली के उचित मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सूचना देते हुए बोली के फार्म, प्रतिभूति निष्पादन के फार्म, मसौदा कार्यान्वयन करार एवं ट्रांसमिशन सेवा

करार, लाइसेंस के सामान्य निबंधन एवं शर्तें, आयोग द्वारा यथा-अधिसूचित लाइसेंस देने के आवेदन-प्रपत्र शामिल होंगी।

(ग) चयन होने पर सफल बोलीदाता द्वारा तत्काल जमा कराए जाने वाली "परियोजना कार्यान्वयन गारंटी जमा राशि" के संबंध में देय राशि का उल्लेख होगा, यदि सफल बोलीदाता वित्तीय संवृति पर पहुंचने या निर्धारित समय में परियोजना पूरी करने में असफल रहता है तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी,

(घ) उस विधि का उल्लेख होगा जिसके द्वारा लाभार्थियों से ट्रांसमिशन सेवा प्रभार लिया जाएगा,

(ड.) परियोजना चरणों में निष्पादित किए जाने पर विभिन्न चरणों के लिए [illegible]

और सामान्यतः उपलब्ध ऋण शर्तों के अनुरूप ट्रांसमिशन सेवा करार की कालावधि में विदेशी मुद्रा के उपयोग को सतत् रूप से कम करके किया जाएगा।

(छ) ट्रांसमिशन लाइसेंस समाप्त होने पर जिस कीमत पर ट्रांसमिशन प्रणाली को केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को अंतरित किया जाएगा उस शेष कीमत की गणना करने की विधि स्पष्ट रूप से दें और इसे निष्पक्षता से निर्धारित किया जाएगा तथा बोली में घटक के रूप में शामिल किया जा सकेगा।

4. बोलीदाताओं को विस्तृत प्रस्ताव जमा कराने के लिए कम से कम तीन (3) महीनों का समय दिया जाएगा।

5. केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी प्रस्ताव हेतु अनुरोध का वितरण करने के बाद दो से चार सप्ताह के बीच में बोली पूर्व कम से कम एक सम्मेलन करेगी। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी बोली पूर्व के सम्मेलन के लिए कार्यसूची जारी करेगी और उसके बाद सम्मेलन के कार्यवृत्त प्रकाशित करेगी।

6. केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी परियोजना दस्तावेजों में संशोधन को न्यूनतम रखते हुए सुनम्य बोलियों की संख्या को अधिकतम करने की दृष्टि से

परियोजना दस्तावेजों को संशोधित करने संबंधी अर्हक आवेदकों की टिप्पणियों पर विधिवत ध्यान देगी।

7. यदि ऐसे संशोधनों के परिणामस्वरूप परियोजना दस्तावेजों में इन विनियमों अथवा अनुसूची-1 में विहित दिशा-निर्देशक घटकों से अंतर उत्पन्न होता है तो ऐसे अंतर के लिए आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

8. परियोजना के संशोधित दस्तावेज को बोली प्रस्तुत करने की अपेक्षित तारीख से कम से कम आठ सप्ताह पूर्व अर्हक आवेदकों को वितरित किया जाएगा।

9. यदि किसी बोलीदाता के मांगने पर कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है तो यह बताए बिना कि किसके मांगने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है, इस स्पष्टीकरण को सभी बोलीदाताओं को भेजा जाएगा।

(ख) जो घटक परियोजना के नियंत्रण से बाहर हैं वे ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों में प्रदान किए जाएंगे - ये विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति से संबंधित हैं। वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों में तीन घटक होंगे अर्थात, रूपए का निर्धारित हिस्सा, विदेशी मुद्रा का हिस्सा और भारतीय मुद्रास्फीति से प्रभावित हिस्सा। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी यह निर्दिष्ट नहीं करेगी कि कौन सा लागत शीर्ष उपर्युक्त तीन घटकों में प्रत्येक के अधीन कवर किया जा सकेगा क्योंकि यह शर्त प्रतिबंधित है और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों के सिद्धांत के विरूद्ध है।

12. बोली का मूल्यांकन

1. बोली पैकेज जनता के सामने खोला जाएगा। बोली पैकेज की निविदा शर्तों का समग्र अनुपालन करने के लिए जांच की जाएगी उदाहरणार्थ, कार्य निष्पादन अनुबंध, प्रस्तुत करने की अपेक्षाएं आदि। सभी बोलीदाताओं को बोली खुलने के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

2. इसके बाद सुनम्य बोली पैकेज की तकनीकी बोली का आकलन किया जाएगा। जब तक तकनीकी बोलियों का आकलन चलेगा तब तक सुनम्य

बोली पैकेज की मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और सुरक्षित सुपुर्दगी में रहेगी। सुनम्य बोली पैकेजों, जो तकनीकी मानदण्ड पूरा करते हों, की मूल्य बोलियां इसके बाद खोली जाएगीं और इनका मूल्यांकन किया जाएगा।

3. केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, यदि कम से कम तीन वैध बोलियां प्राप्त होती हैं तो प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा उनकी तुलना करेगी।

बशर्ते कि यदि कम से कम तीन बोलियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो कार्यान्वयकर्ता एजेंसी का अंतिम चयन, केवल आयोग की अनुमति लेने के बाद ही किया जाए।

4. निविदा शर्तों के साथ बोलियों का मूल्यांकन करते समय केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:-

(क) **पर्याप्तता:** मांगी गई सभी संगत सूचना और बोली की प्रतिभूति प्रदान करेगाः

(क) **तकनीकी विश्वसनीयताः** परियोजना का मूल इंजीनियरिंग डिजाइन केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा निर्धारित और बोली दस्तावेज में यथा-निर्दिष्ट न्यूनतम कार्य विनिर्दिष्टियां प्रदान करने में सक्षम होगा।

(ख) **प्रचालनात्मक व्यवहार्यताः** पूर्ण की गई सुविधा का प्रचालन और रखरखाव करने के लिए प्रस्तावित संगठन, विधियां और प्रक्रियाएं सुपरिभाषित होंगी, विहित कार्य निष्पादन मानकों के अनुरूप होंगी और कार्यशील स्थिति में होंगी।

(ग) **पर्यावरण मानकः** उपयोग की जाने वाली परियोजना का प्रस्तावित डिजाइन और प्रौद्योगिकी प्रचलित पर्यावरण मानकों के अनुसार होगी। पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव का उचित रूप से उल्लेख किया जाएगा और इसमें अपनाए जाने वाले तदनुरूपी सुधारात्मक/कम करने के उपाय शामिल किए जाएंगे।

(घ) **परियोजना का वित्त पोषणः** प्रस्तावित वित्त पोषण योजना में यह दर्शाया जाएगा कि यह विश्वसनीय और प्राप्यनीय है।

6. इन विनियमों की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशक घटकों में दिए गए बोली आकलन मानदण्ड का हर प्रकार से अनुसरण किया जाएगा। परिवर्तन, यदि कोई हो, को आयोग से अनुमोदित करवाया जाएगा।

7. आयोग सफल बोलीदाता के चयन में किसी बोलीदाता से दुराशय की शिकायत प्राप्त होने पर आकलन रिपोर्टें मांग सकता है ताकि वह केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा की गई आकलन प्रक्रिया के उचित होने के बारे में संतुष्ट हो सके।

8. बोलीदाता को वित्त प्रदाताओं तथा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की पहचान कर लेनी होगी और 'रूचि की अभिव्यक्ति' हासिल करनी होगी।

13. कार्यान्वयन एजेंसी का चयन

2. यदि न्यूनतम मूल्य की बोली बैंचमार्क मूल्य जमा 10 प्रतिशत के गोपनीय अंतराल से अधिक होती है तो केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी न्यूनतम बोलीदाता से इस मूल्य को बैंच मार्क मूल्य जमा 10 प्रतिशत के समान करने के लिए कहेगी। यदि बोलीदाता इस मूल्य को समान करने के लिए सहमत होता है तो इसका चयन क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में किया जाना चाहिए। यदि बोलीदाता इस मूल्य को समान करने में विफल रहता है तो केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी इस बात पर विचार करेगी कि क्या न्यूनतम मूल्य बोली को स्वीकार किया जाए और न्यूनतम मूल्य की बोली के बोलीदाता का चयन कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया जाए। यदि केन्द्रीय ट्रांसमिशन एजेंसी बैंचमार्क मूल्य जमा 10 प्रतिशत से ऊपर के न्यूनतम मूल्य बोलीदाता के पक्ष में निर्णय लेती है तो इसे उचित औचित्य देकर आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14. बोली प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता

1. केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी तब तक निविदा दस्तावेजों की कोई व्याख्या प्रदान नहीं करेगी जब तक कि इसमें सुस्पष्ट त्रुटि न हो अथवा जब तक कि

अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ सहित गणना किए गए उदाहरणों का उल्लेख न करना हो।

2. केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी आवेदकों/बोलीदाताओं से प्राप्त हुए लिखित पत्राचार और लिखित स्वीकृति पर ही निर्भर करेगी। इसके अलावा केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी अपना सभी पत्राचार सभी बोलीदाताओं के साथ करेगी।

3. यदि बोली प्रक्रिया अथवा बोली दस्तावेज में कोई परिवर्तन किया जाता है तो केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी बोलीदाताओं को पर्याप्त समय की अनुमति देगी।

15. संयुक्त उपक्रम का तरीका

संयुक्त उपक्रम के तरीके के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा-प्रभार, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ अधिसूचना के अनुसार लागत जमा आधार पर होंगे।

(ii) सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित घटक पावरग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा निष्पादन के लिए निर्धारित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के भाग हैं।

(iii) पावरग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के चयन के लिए केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा प्रकाशित पद्धति का अनुकरण किया गया है।

(iv) सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भिन्न परियोजना के रूप में उपयुक्त आकार (लागत-वार) के हैं।

(v) सैद्धांतिक रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमति, जहां आवश्यक है, ले ली गई है।

(vi) परियोजना के घटकों के लाभभोगियों से उपयुक्त मंच पर परामर्श कर लिया गया है।

17. आयोग द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करना:

(i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा, इन विनियमों में निर्धारित रूप में और अनुसूची-2 में संलग्न प्रपत्र में विधिवत अनुमोदित लाइसेंस देने का आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ, सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा देय 100,000/- रूपये (केवल एक लाख रूपए) का शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(iii) आयोग, इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पद्धति का अनुपालन किया गया है, लाइसेंस देने के लिए आवेदक को आशय-पत्र जारी कर सकता है।

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, परियोजना के निर्माण एवं प्रचालन के दौरान लाइसेंसधारी के कार्य निष्पादन के संबंध में ऐसे कार्यों की रिपोर्ट देगा, जिन्हें सूचित करना वह उपयुक्त समझती है।

बशर्ते कि आयोग, लाइसेंसधारी के निष्पादन के संबंध में किसी भी समय वह सूचना मांग सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

अध्याय-III- लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तें

19. लाइसेंसधारी के दायित्व:

लाइसेंसधारी निम्नलिखित दायित्वों की शर्तों के अध्यधीन होगा-

(क) लाइसेंसधारी, करार(करारों) के अनुसार परियोजना को निर्दिष्ट समय में कुशल तरीके से प्रारंभ करेगा।

(ख) लाइसेंसधारी, लागू सभी नियमों, विशेष रूप से विद्युत नियमों, भारतीय विद्युत ग्रिड आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निदेशों का सख्ती से पालन करेगा और वह परियोजना के निर्माण एवं प्रचालन और रख-रखाव के दौरान करारों के अनुसार कार्य करेगा।

(ग) लाइसेंस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 12 से 19 तक का उसी तरह अनुपालन करेगा, जैसे कि यदि वह अधिनियम के अंतर्गत स्वयं लाइसेंसधारी है।

(घ) लाइसेंसधारी, आयोग, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी और विद्युत निरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, की परियोजना से संबंधित उसके कार्यों को करने के लिए सभी सहायता देगा।

(ड.) सम्पूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

20. वर्जित कार्यः

अथवा विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या प्रदाय के लिए अभीष्ट किसी व्यक्ति को स्वयं से नहीं जोड़ेगा।

(ख) लाइसेंसधारी, विद्युत के पारेषण(ट्रांसमिशन) से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए परियोजना की परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं करेगा।

बशर्ते कि जहां परियोजना की परिसम्पत्ति का उपयोग, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विद्युत के पारेषण से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ऐसे उपयोग से लाइसेंसधारी को होने वाला अतिरिक्त लाभ, लाभभोगियों और लाइसेंसधारी द्वारा उस तरीके से आपस में बांटा जाएगा जिसका आयोग द्वारा निदेश दिया जाए।

(ग) लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना, हस्तांतरण के लिए विद्युत परियोजना के माध्यम से क्रय/विक्रय के लिए किसी तीसरे पक्ष से कोई समझौता नहीं करेगा।

(घ) उपर्युक्त खंड(क), (ख) या (ग) में उल्लिखित प्रकृति के लेन-देन से संबंधित कोई भी करार, जबकि वह आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किया गया हो, अमान्य होगा तथा लाइसेंस के निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

(ड.) लाइसेंसधारी, कभी भी किसी व्यक्ति को विक्रय, बंधक, पट्टे, विनिमय द्वारा या अन्यथा अपना लाइसेंस सुपुर्द नहीं करेगा या अपना उपक्रम अथवा उसका कोई अंश हस्तांतरित नहीं करेगा।

बशर्ते कि लाइसेंसधारी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक होने के मामले में आयोग, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के परामर्श से ऋणदाता के नामांकित व्यक्ति को लाइसेंस सुपर्द कर सकता है।

(च) लाइसेंसधारी निम्नलिखित तथ्यों को छोड़ कर परियोजना के किसी भाग में कोई संवर्धन/संशोधन नहीं करेगा -

(i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ हुए करार के अनुसार और आयोग की पूर्व अनुमति से,

(ii) आयोग द्वारा जारी किए गए विधा निर्देशों के अनुसार।

वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, से 30(तीस) वर्षों की अवधि तक चालू रहेगा।

(ii) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, परिसम्पत्तियां केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जिसका हस्तांतरण मूल्य, ट्रांसमिशन सेवा करार में दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

22. लाइसेंस शुल्क का भुगतानः

1. लाइसेंसधारी, नीचे निर्दिष्ट राशि के लाइसेंस शुल्क का भुगतान सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में आयोग को करेगा।

(i) 100,000(केवल एक लाख रूपए) का प्रारंभिक लाइसेंस शुल्क आशय-पत्र प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर।

(ii) परिसम्पत्ति के, व्यावसायिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किए जाने के बाद, लाइसेंसधारी को, आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों के 0.05%(एक प्रतिशत का बीसवां भाग) के समकक्ष राशि, जो

न्यूनतम 50,000/- रूपये(केवल पचास हजार रूपए) और अधिकतम 2,00,000/- रूपये (केवल दो लाख रूपए) होगी का, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 30(तीस) दिनों के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(iii) व्यावसायिक प्रचालन की तारीख एवं वित्तीय वर्ष के अंत के बीच की अवधि के लिए, उपर्युक्त खण्ड(ii) में यथा उल्लिखित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारत अनुपात का, व्यावसायिक प्रचालन के प्रारंभ होने के 30(तीस) दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।

(iv) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने और लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बीच की अवधि के लिए उपर्युक्त खण्ड(ii) में यथाउल्लिखित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारित अनपात का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के

3. उक्त खंड(2) के प्रावधानों के बावजूद, लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विलंब को या इसका भुगतान न किए जाने को, लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

23. लाइसेंसधारी के खातेः

1. लाइसेंसधारी -

(क) परियोजना के तथा आयोग द्वारा अनुमत परियोजना की परिसम्पत्ति के उपयोग किए जा रहे अन्य किसी व्यवसाय के खातों की अलग सूचना और विवरण रखेगा। खातों के विवरण, उस रूप में रखे जाएंगे और उनमें वे ब्यौरे होंगे जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(ख) परियोजना के खाते, लाइसेंसधारी, ऐसी किसी समान ट्रांसमिशन, परियोजनाओं, यदि कोई हो, के कार्यों सहित उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य व्यवसाय से अलग रखे जाएंगे।

(ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के ऐसे रिकार्ड, लेखा-विवरण संगत आधार पर तैयार करेगा, जिसमें लाभ एवं हानि ब्यौरे, तुलन-पत्र और स्रोत एवं निधि के प्रयोज्य के विवरण तथा उस पर टिप्पणी शामिल होगी और उसमें किसी राजस्व, लागत,

परिसम्पत्ति, देयता, आरक्षी या निम्नलिखित में से किसी के लिए किए गए प्रावधान को पृथक रूप में दर्शाएगाः

(i) परियोजना से जुडे किसी व्यवसाय कार्य से भिन्न किसी व्यवसाय कार्य से लिया गया उसे दिया प्रभार और उस प्रभार के आधार का विवरण देगा, या

(ii) विभिन्न व्यवसाय कार्यों के बीच निर्धारित विभाजन या आवंटन और विभाजन या आबंटन के आधार का विवरण भी दिया जाए।

(घ) उक्त खंडों के अनुसार तैयार किए गए लेखा-विवरण के संबंध में, लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार की गई रिपोर्ट देगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि क्या उनकी राय में विवरण उपयुक्त रूप में तैयार किया गया है और जिस परियोजना से वह विवरण संबंधित है उस परियोजना पर

वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी के खातों का निरीक्षण एवं सत्यापन करने का हकदार होगा और लाइसेंसधारी, ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

24. सूचना प्रस्तुत करनाः

1. लाइसेंसधारी वह सूचना देगा, जो आयोग द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।

2. लाइसेंसधारी, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा निर्धारित तरीके एवं रूप में वह सूचना देगा, जो लाइसेंसधारी के कार्य-निष्पादन, लाइसेंस के निबंधनों तथा शर्तों तथा किसी अन्य वैधानिक या विनियामक अपेक्षा के अनुपालन की निगरानी के लिए केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो।

25. विवेकी रिपोर्ट देनाः

लाइसेंसधारी, ज्यों ही व्यवहार्य हो, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निम्नलिखित की रिपोर्ट देगा -

(क) उसकी परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जो विद्युत नियमों, आयोग द्वारा जारी निदेशों/आदेशों, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, करार या लाइसेंस के

अंतर्गत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में लाइसेंसधारी की क्षमता को प्रभावित करें।

(ख) विद्युत नियमों, आयोग द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, करार या लाइसेंस के प्रावधानों का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन।

(ग) लाइसेंसधारी के बड़े शेयर धारण, स्वामित्व या प्रबंध में कोई परिवर्तन।

26. प्रचालन एवं अनुपालन लेखा-परीक्षाः

लाइसेंसधारी, निम्नलिखित के संबंध में स्वतंत्र वार्षिक प्रचालन एवं अनुपालन लेखा-परीक्षा के संबंध में केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करेगाः-

(क) ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के संबंध में पूरे किए गए कार्य-निष्पादन के जारी निदेशों/आदेशों आदि की इनके प्रावधानों सहित अनुपालना, और

(घ) लाइसेंस के अंतर्गत अपने प्रचालन को जारी रखने के लिए लाइसेंसधारी की वित्तीय तकनीकी एवं अन्य क्षमता।

27. रद्द करने की शर्तें

1. आयोग लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है, यदि -

(क) लाइसेंसधारी आयोग को लिखित में अनुरोध करे कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाए; या

(ख) विनियम 18 के अंतर्गत देय कोई राशि, देय होने के बाद 90(नब्बे) दिनों की अवधि तक जिसका भुगतान न किया गया हो; या

(ग) लाइसेंसधारी ने, आयोग की राय में लाइसेंस के किसी निबंधन या शर्त का पूर्ण उल्लंघन किया है और ऐसे उल्लंघन को दूर करने के लिए वह, आयोग द्वारा जारी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(घ) लाइसेंसधारी, आयोग की राय में, लाइसेंस के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को पूरी तरह एवं कुशलतापूर्वक करने की स्थिति में नहीं है; या

(ड.) आयोग की राय में, लाइसेंसधारी ने, विद्युत नियमों या भारतीय विद्युत ग्रिड कोड या उनके अंतर्गत उससे अपेक्षित कुछ भी करने में जानबूझकर या कोई अनुचित चूक की है।

बशर्ते कि लाइसेंस, लाइसेंसधारी को, लाइसेंसधारी द्वारा बताए गए कारणों पर विचार करने के बाद और जिन कारणों से लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, का लिखित में कम से कम 90 (नब्बे) दिनों का नोटिस दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि लाइसेंसधारी द्वारा उपर्युक्त मामले पर विचार करने के अनुमोदन से अथवा लाइसेंसधारी द्वारा अपना लाइसेंस रद्द करने के लिए आयोग को लिखित में अनुरोध करने से समाप्त होने पर यदि आयोग द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो लाइसेंसधारी को नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।

3. करार समाप्त होने के कारण लाइसेंस का रद्दकरण करार-समापन की तारीख से प्रभावी होगा। अन्य सभी मामलों में लाइसेंस, उस तारीख को रद्द होगा; जिस तारीख से आयोग निदेश दे।

4. लाइसेंस रद्द होने या लाइसेंसधारी द्वारा परियोजना का परित्याग करने के बाद परियोजना ट्रांसमिशन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तत्काल कब्जे में ले ली जाएगी या ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जाएगी जिसका, आयोग द्वारा निदेश दिया जाए।

भाग IV - विविध

28. विवाद समाधानः

टैरिफ सहित ऊर्जा के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन से उभरे अथवा उससे संबंधित और लाइसेंस अथवा शर्तों और निबंधनों की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले या उससे जुडे सभी विवादों या मतभेदों का समाधान, जहां तक संभव हो, आपसी विचार-विमर्श/सुलह-समझौते, से किया जाएगा। पक्षों द्वारा विवादों या मतभेदों का उक्त तरीकों से समाधान किए जाने में असफल रहने के मामले में ये विवाद या मतभेद माध्यस्थम या न्यायनिर्णय के लिए विद्यत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 की

1. लाइसेंस के संबंधित सभी पत्र व्यवहार लिखित रूप में होगे और या तो व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाएंगे अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।

2. सभी पत्र प्रेषक द्वारा दिए हुए माने जाएंगे और प्रेषिती को प्राप्त हुए माने जाएंगे -

   (क) जब प्रेषिती को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके अधिकृत एजेंट को सुपुर्द किया गया हो;

   (ख) प्रेषिती के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने की तारीख से 15 दिन समाप्त होने पर।

30. शिथिल करने की शक्तिः

आयोग, यदि ऐसा आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित में, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, जनता की सुनवाई से या उसके बिना उक्त विनियमों के किसी भी प्रावधान में, जो वह उपयुक्त समझे, संशोधन, परिवर्तन कर सकता है, छूट दे सकता है या समाप्त कर सकता है।

31. निरसन और निवारण

2. ऐसे निरसन के बावजूद निरसन किए गए विनियमों के अधीन किया गया अथवा किए जाने के लिए उद्दिष्ट कोई कार्य या की गई कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए उद्दिष्ट कार्रवाई इन विनियमों के अधीन किया गया या किए जाने के लिए उद्दिष्ट कार्य अथवा की गई या की जाने के लिए उद्दिष्ट कार्रवाई मानी जाएगी।

अनुसूची-1

अर्हता हेतु अनुरोध और प्रस्ताव हेतु अनुरोध के दस्तावेजों को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशक घटक

अर्हता हेतु अनुरोध

खण्ड-1

अर्हता के लिए आमंत्रण

1. प्रस्तावना

1.1 इस उप-खण्ड में संक्षेप में अर्हता हेतु अनुरोध, कार्य क्षेत्र, परियोजना के चालू होने

की अनंतिम अनुसूची, बनाओ और चलाओ तथा अंतरित करो आधार पर आई.पी.टी.सी. के चयन के लिए मानदण्ड, कमीशन की लाइसेंस देने की प्रक्रिया/शर्तें और बोली प्रक्रिया में केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी की भूमिका का उल्लेख है।

2. कार्य-क्षेत्र

2.1 इस उप-खण्ड में कार्य-क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आई.पी.टी.सी. द्वारा क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज स्तर के मामले में, लाइन की

खण्ड- II

आवेदक के लिए सूचना

इस खण्ड में निम्नलिखित कवर किया जाएगा:-

1. परिभाषा

1.1 इस उप-खण्ड में अर्हता हेतु अनुरोध में उपयोग की गई शब्दावली की परिभाषाओं को कवर किया जाएगा। इस दस्तावेज में प्रयोग की गई आई.ई.जी.सी. और संगत विद्युत अधिनियमों/नियमों में परिभाषित शब्दावली को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा ताकि दस्तावेज की व्यापकता सुनिश्चित की जा सके।

2. परियोजना का विवरण

2.1 इस खंड में परियोजना का प्रकार अर्थात कि क्या यह विशिष्ट उत्पादन स्टेशन से विद्युत लेने अथवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए है, रास्ते के विशेष गुण दर्शाते हुए लाइन के प्रस्तावित पथ का मेल, नदी पार करना, कोई रिजर्व अथवा सघन वन पार करना आदि, वे राज्य जिनसे प्रस्तावित लाइन गुजरेगी अथवा क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित उप-स्टेशन का स्थान दर्शाया जाएगा। प्राप्त किए गए अथवा किए जाने वाले विभिन्न सांविधिक क्लीयरेंश, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 18क के अधीन केन्द्र सरकार से लिए जाने वाले क्लीयरेंश सहित, लेकिन इसी तक सीमित न रहकर, अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शर्त, यदि कोई हो, दर्शाते हुए प्राप्त किए गए अथवा किए जाने वाले विभिन्न सांविधिक क्लीयरेंश, सी.ई.ए. का टी.ई.सी, वन प्राधिकरियों से क्लीयरेंश भी स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने

अनुसार महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए समय अनुसूची शामिल की जाएगी:-

क्र.सं.	महत्वपूर्ण चरण	परिकल्पित पूर्णता अनुसूची
1.	परियोजना का आबंटन	
2.	परियोजना संविदा को अंतिम रूप देना और हस्ताक्षर करना	
3.	वित्तीय समापन	
4.	परियोजना का परीक्षण और चालू होना(यदि परियोजना के प्रत्येक घटक के चालू होने की अलग-अलग तारीख की परिकल्पना की गई है तो इसका उल्लेख किया जाए)	

4. चयन प्रक्रिया का विवरण

4.1 इस उप-खण्ड में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बोलीदाताओं के चयन के लिए अपनाई जाने वाली अवस्थाओं को कवर किया जाएगा। दूसरी अवस्था (प्रस्ताव हेतु अनुरोध) का संक्षिप्त विवरण अर्हता के लिए अनुरोध के दस्तावेज में दिया जाएगा

ताकि प्रत्याशित बोलीदाता विस्तृत चयन प्रक्रिया को शासित करने वाले दृष्टिकोण को समझ सके। अर्हता के लिए अनुरोध की अवस्था में अर्हक होने वाले आवेदकों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध का दस्तावेज जारी किया जाएगा।

5. विस्तृत अर्हकारी अपेक्षाएं

5.1 इस उप-खण्ड में आवेदकों के लिए विस्तृत अर्हकारी अपेक्षाएं निर्दिष्ट की जाएंगी और इनमें निम्न शामिल होगा:-

क. विकास, डिजाइन, वित्त (इक्विटी पूंजी और ऋण की व्यवस्था करना), परियोजना के संघटक अर्थात, क्या इसमें एक लाइन है अथवा उप-स्टेशंन है या दोनों हैं, पर निर्भर करते हुए यथा लागू ....किलोवाट(अथवा अधिक) पर ....सी.के.टी. किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन और/अथवा.............के.वी. पर उप स्टेशनों की संख्या .... के साथ ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण और प्रचालन में अनुभव।

(i) ....के.वी. और अधिक वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइनें;

(ii) ....एम.वी.ए. अथवा ऊपर उप-स्टेशन;

(iii) .... के.वी. और अधिक वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइनें तथा........एम.वी.ए. या अधिक उप-स्टेशन

ख. आवेदक का नेट वर्थ/कारोबार द्वारा यथा प्रदर्शित **वित्तीय क्षमता** प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा के अनुपातिक है।

टिप्पणी 1

संघ के मामले में, यदि एक सम्बद्ध अनुभव का मानदण्ड पूरा कर पाता है और वही सम्बद्ध अथवा कोई अन्य सम्बद्ध वित्तीय क्षमता का मानदण्ड पूरा कर पाता है तो यह समझा जाएगा कि आवेदक ने न्यूनतम अर्हकारी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं।

टिप्पणी 2

आवेदक को अर्हकारी अपेक्षाएं पूरी करने के अपने दावे के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को विस्तृत

अर्हकारी अपेक्षाओं के संबंध में आवेदकों से सूचना प्राप्त करने के लिए उचित प्रपत्र तैयार करना चाहिए।

6. जिम्मेदारियों का आबंटन

6.1 इस उप-खण्ड में केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी और किसी कानून और शर्तों और निबंधनों के अधीन यथा निर्दिष्ट कंपनी (कंपनी का अर्थ भारतीय विद्युत ग्रिड निगम को छोड़कर कोई कंपनी, यूटिलिटी अथवा संगठन है जो अन्तर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली बनाना, चलाना और रखरखाव करना चाहता है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है) की जिम्मेदारियों को कवर किया जाएगा। इनमें निम्न शामिल होगाः-

6.1.1 केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी

6.1.2 कंपनी

(क) आयोग से ट्रांसमिशन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु,

(ख) परियोजना अनुमोदन और परमिट जैसेकि, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है, वन क्लीयरेंश, विद्युत दूर संचार समन्वय समिति का अनुमोदन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का अनुमोदन, रास्ते का अधिकार अथवा नदी, सड़क, रेलवे, नहर पार करने के लिए अनुमोदन आदि प्राप्त करने हेतु, और

(ग) लाइसेंस की वैधता के दौरान परियोजना के वित्त पोषण, निर्माण, रखरखाव और प्रचालन हेतु।

7. बोली की प्रक्रिया में समय अनुसूची

7.1 इस खण्ड में अर्हता हेतु अनुरोध दस्तावेज प्रस्तुत करने, अर्हता हेतु अनुरोध के प्रस्तावों को खोलने और अर्हकारी आवेदकों की सूची बनाने, प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज जारी करने, बोली पूर्व सम्मेलन, तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सफल आवेदक (कों) का चयन करने आदि के लिए समय अनुसूची दर्शायी जाएगी। अर्हता हेतु अनुरोध के मामले में कम से कम दो महीने और प्रस्ताव हेतु अनुरोध के मामले में कम से कम 3 महीने का समय बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिया जाना चाहिए। इस उप-खण्ड में अर्हता के लिए अनुरोध/प्रस्ताव हेतु

अनुरोध के प्राप्त और प्रस्तुत करने के पते तथा अर्हता के लिए अनुरोध/प्रस्ताव के लिए अनुरोध के दस्तावेजों की लागत का भी उल्लेख किया जाएगा।

खण्ड-III

आवेदक के लिए अनुदेश

इस खण्ड में आवेदक द्वारा अर्हता के लिए अनुरोध के प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न अपेक्षाएं तथा केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा बोली आकलन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कवर किया जाएगा।

1. सामान्य नियम

1.1 इस उप-खण्ड में आवेदक द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य नियम, जैसे कि निम्नलिखित, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, का वर्णन किया जाएगा

(घ) दी गई सूचना पठनीय होगी।

(ड.) केवल अर्हता हेतु अनुरोध प्रस्तुत करना यह नहीं माना जाएगा कि बोलीदाता पात्रता अपेक्षाएं पूरी करता है।

(च) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के पास अर्हता के लिए कोई अथवा सभी आवेदनों के लिखित में कारण रिकार्ड करके अस्वीकार करने का अधिकार है।

(छ) आवेदन और उससे संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने में जुड़ी सभी लागत आवेदक वहन करेगा।

(ज) यदि बाद की किसी तारीख को आवेदक द्वारा दी गई सूचना अथवा भेजा गया दस्तावेज गलत पाया जाता है अथवा जानबूझकर तथ्यों को छिपाया जाता है या गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह आवेदक अनर्हक होगा और उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा।

2. अर्हता विवरण प्रस्तुत करने का प्रपत्र

2.1 इस उप-खण्ड में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों का वर्णन किया जाएगा, जैसे कि

2.1.1 आवेदक का वर्णन

इसमें विहित प्रपत्र में कम से कम निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:

(क) आवेदक का संगठनात्मक ढांचा, पृष्ठभूमि का वर्णन, आवेदक की संरचना और क्षमता, आवेदक के पिछले अनुभव का वर्णन, मुख्य व्यक्ति का नाम, पद स्थिति और पता आदि।

(ख) यदि आवेदक संघ है तो संघ के साथ सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिकल्पित भूमिका और जिम्मेदारियां भी प्रस्तुत करनी होंगी। सम्बद्धों के बीच हुए समझौते ज्ञापन की एक प्रति भी संलग्न की जाए।

(ख) स्वामी अथवा ग्राहक द्वारा जारी अंतिम स्वीकार्यता और अच्छे प्रचालन निष्पादन का प्रमाण-पत्र,

(ग) उपर्युक्त परियोजना का निम्नलिखित कवर करते हुए वर्णनात्मक विवरण:-

(i) परियोजना माडल अर्थात बनाओ चलाओ और अंतरित करो(बी.ओ.ओ.टी.) आदि,

(ii) स्थापना का आकार और प्रकार,

(iii) ऋण वित्त पोषण और आवेदक द्वारा सृजित और प्रदान की गई इक्विटी, ऋण दाता और अन्य निवेशकों के नाम,

(iv) ई.पी.सी. ठेकेदार का नाम,

(v) परियोजना में आवेदक की भूमिका,

(vi) परियोजना के पूर्ण होने के समय की तुलना में निर्माण अनुसूची,और

(vii) परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख

2.1.3 वित्तीय क्षमता

इसमें प्रपत्र में, यदि विहित हो, कम से कम निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:

(क) लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अर्थात चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 3 वर्षों के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा।

(ख) आवेदक के पिछले रिकार्ड और क्षमता के संबंध में कोई अन्य संगत सूचना।

4. प्रस्तावों की वैधता

प्रत्येक प्रस्ताव आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ..... महीने/वर्ष की अवधि के लिए वैध और खोला जाएगा।

5. बोली प्रतिभूति

आवेदन प्रस्तुत करते समय 5 लाख रूपये की बैंक गारंटी देनी होगी। सफल आवेदक की बैंक गारंटी उसके प्रस्ताव हेतु अनुरोध को प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी और असफल आवेदक की बैंक गारंटी उसका आवेदन अस्वीकार होने के 15 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी।

खण्ड-IV

मूल्यांकन प्रक्रिया

1. मूल्यांकन प्रक्रिया

1.1 इस उप-खण्ड में अर्हता हेतु अनुरोध की अवस्था पर आवदकों का चयन करने के लिए मूल्यांकन के लिए मानदण्ड और प्रक्रिया निर्दिष्ट होगी।

1.2 जो आवेदक खण्ड-II के विस्तृत दिशा-निर्देशक घटकों के अनुसार अनुभव और वित्त पोषण क्षमता की अर्हकारी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और आवेदक द्वारा दी गई समर्थन सूचना से सत्यापित होते हैं, उन्हें अर्हता हेतु अनुरोध की अवस्था पर अर्हक समझा जाएगा और प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अर्हता हेतु अनुरोध की अवस्था पर चयन का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रपत्र

डिजाइन	हां/नहीं	हां/नहीं
वित्त	हां/नहीं	हां/नहीं
निर्माण	हां/नहीं	हां/नहीं
रखरखाव	हां/नहीं	हां/नहीं
ख. वित्तीय क्षमता		
नेट वर्थ	हां/नहीं	हां/नहीं
कारोबार	हां/नहीं	हां/नहीं

1.3 यदि सारणी में सभी प्रश्नों का उत्तर "हां" हो तभी बोलीदाता प्रस्ताव हेतु अनुरोध की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अर्हक होगा। यदि अर्हता के लिए अनुरोध अवस्था में आवेदकों की संख्या अथवा अर्हक आवेदकों की संख्या 3 से कम है तो आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रस्ताव हेतु अनुरोध की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

खण्ड-I

बोलीदाताओं के लिए सूचना

1. परिभाषा

1.1 इस उप-खण्ड में प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली की परिभाषा होगी। यदि इनमें से कोई शब्द पहले ही आई.ई.जी.सी. अथवा विद्युत नियमों में परिभाषित किया जा चुका है तो उसे दस्तावेज की व्यापकता के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

1.2 अन्तर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के संदर्भ में सामान्य शब्दावली को परिभाषित करने के लिए विशेष सावधानी बरती जायगी(क्योंकि कुछ शब्दावली अंतर-राज्य टांसमिशन अधिनियम, 1948 की धारा 18ए के अधीन केन्द्र सरकार से क्लीयरेंश, सी.ई.ए. का टी.ई.सी और वन क्लीयरेंश भी शामिल करना होगा लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं रहना होगा।

2.2 लाइसेंस देने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण शामिल किया जाएगा।

2.3 प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी।

3. परियोजना का विवरण

3.1 इस उप-खण्ड में निम्न शामिल होगाः-

(क) कार्य निष्पादन विनिर्दिष्टियों सहित परियोजना का पूर्ण विवरण। इसमें निम्न शामिल होगाः

(i) परियोजना का प्रकार, क्या यह विशिष्ट विद्युत उत्पादन स्टेशन से विद्युत लेने के लिए है अथवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए है,

(ii) वे राज्य जिनमें से प्रस्तावित लाइन गुजरनी है,

(iii) मृदा, भूमि, नदी/सड़क/विद्युत लाइन पार करना,

(iv) वन का नक्शा और जिस ट्रांसमिशन ग्रिड से परियोजना को जोड़ने का प्रस्ताव है, उसका विद्युत नक्शा।

(ख) वित्तीय और कानूनी अपेक्षाओं का विवरण।

(ग) विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने की समय अनुसूची।

(घ) लाइनों का रूट नक्शा और उप स्टेशनों का स्थान।

खण्ड-II

1. बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

1.1 इस खण्ड में बोलीदाता द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य नियमों का वर्णन किया जाएगा जैसे कि निम्नलिखित नियम लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं रहना भाषा में है तो उसके साथ उसका सही अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए।

(घ) भेजी गई सूचना पठनीय होगी।

(ड.) बोली प्रस्तुत करने के बाद कोई सूचना जोड़ी अथवा प्रतिस्थापन्न नहीं की जाएगी।

(च) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए कोई भी एक अथवा सभी बोलियां अस्वीकार कर सकता है।

(छ) बोली तैयार करने और इससे संगत गतिविधियों से जुड़ी समस्त लागत बोलीदाता वहन करेगा।

(ज) यदि बाद में किसी तारीख को बोलीदाता द्वारा भेजी गई सूचना अथवा दिए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं अथवा तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है या गलत रूप में पेश किया गया है तो ऐसे बोलीदाता को अनर्हक कर दिया जाएगा और उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा।

(झ) चयन प्रक्रिया(मूल्यांकन विधि सहित), स्थल दौरे की प्रक्रिया, प्रस्ताव हेतु अनुरोध के लिए संशोधन और स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्रक्रिया और बोली-पूर्व सम्मेलन के बारे में सूचना का विस्तार से वर्णन किया जाएगा।

(ञ) प्रत्येक बोलीदाता बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति(अनुमानित पूंजी लागत का 0.25%) देगा। असफल बोलीदाताओं को उनके प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद 15 दिन के अंदर वापस की जाएगी। सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति बोलीदाता के परियोजना क्रियान्वयन गारंटी के जमा करने के बाद वापस की जाएगी।

(ट) हिस्सों में परियोजना चालू करने और परियोजना को विभाजित करके दो अथवा अधिक बोलीदाताओं को परियोजना देने के मामले में ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का भुगतान करने के लिए बोलीदाताओं को प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग दर कोट करने के लिए कहा जाएगा।

(ठ) बोलीदाताओं से प्रस्ताव हेतु अनुरोध के दस्तावेज में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार सभी दर कोट करने के लिए कहा जाएगा। वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित घटकों के लिए ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का भुगतान किया जा सके:

(i) गैर-सूचकांकित रूपया घटक

(ii) घरेलू मुद्रास्फीति के साथ सूचकांकित रूपया घटक(सूचकांक से जोड़ने के लिए फार्मूला केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा)

(iii) विदेशी मुद्रा घटक (सूचकांकन अनुमत नहीं, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी इस घटक के लिए ऊपरी सीमा निर्दिष्ट कर सकती है)

(ढ) 30 वर्ष के लिए कोट किए गए ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों में अंतर सुचारू और सतत् होगा।

(ण) उपर्युक्त अवधि के लिए बोलीदाता द्वारा कोट किए गए ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों के आधार पर कोट किए गए ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों के एन.पी.वी.की गणना की जाएगी और निम्नतम एन.पी.वी. वाले बोलीदाता को परियोजना निष्पादन के लिए चुना जाएगा। बोली के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ छूट दर,

विदेशी मुद्रा विनिमय आधार दर और विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर दर का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(त) यदि वैध बोलियों की संख्या तीन से कम है तो आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के बाद ही मूल्यांकन किया जाएगा।

(थ) गोपनीयता खण्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि आयोग किसी भी बोलीदाता से सफल बोलीदाता के चयन में कपटता के आरोप की शिकायत प्राप्त होने पर मूल्यांकन रिपोर्ट मांग सकता है ताकि स्वयं को केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा की गई मूल्यांकन प्रक्रिया के उचित होने के बारे में संतुष्ट कर सके। यह भी विहित किया जाए कि बोलीदाता से आयोग द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

का समय दिया जाएगा।

खण्ड-III

निष्पादन विनिर्दिष्टियां

1. निष्पादन विनिर्दिष्टियां

1.1 न्यूनतम निष्पादन विनिर्दिष्टियों में परियोजना के कार्य निष्पादन के उन सभी पहलुओं का उल्लेख होगा जो अनिवार्य हैं। न्यूनतम निष्पादन विनिर्दिष्टियां केवल इनपुट, आउटपुट और चाहरदिवारी की स्थिति से संबंधित होगी तथा किसी भी प्रकार ट्रांसमिशन लाइनों और उप स्टेशनों का डिजाइन निर्दिष्ट करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

1.2.1 निर्दिष्ट न्यूनतम निष्पादन विनिर्दिष्टियां सुनिश्चित करेंगी कि परियोजनाः

क) में उस प्रणाली के साथ तकनीकी संगतता है जिसमें विद्युत अंतरित की जानी है; और

ख) प्रचलित सुरक्षा मानकों और लागू नियमों की अपेक्षा का अनुपालन करे।

1.3 बोलीदाता को डिजाइन को इष्टतम करने का लचीलापन दिया जाना चाहिए ताकि निष्पादन विनिर्दिष्टियों को पूरा किया जा सके।

खण्ड-IV

क्रियान्वयन करार

1. प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना में यह शामिल होगा कि

क) करार केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा किया गया है।

ख) यदि करार के प्रावधानों और आयोग द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के बीच विसंगति हो तो आयोग की शर्तें और निबंधन लागू रहेंगे। इसी प्रकार आई.ई.जी.सी. सहित विद्युत नियमों के प्रावधान समझौते में निहित प्रावधानों पर विसंगति की सीमा तक अभिभूत होंगे।

(क) करार उस समय प्रभावी होगा जब यह निष्पादित किया जाएगा और पक्षों द्वारा पूरा किया जाएगा तथा यह वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अथवा आपस में तय की गई तारीख को समाप्त होगा जब तक कि करार के प्रावधानों के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।

(ख) वित्तीय समापन में विलंब के लिए निर्धारित क्षति केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तय की जाने वाली अनुमानित परियोजना लागत के किसी प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी। यह निर्धारित प्रतिशत वित्तीय समापन में विलम्ब होने के कारण होने वाली वित्तीय हानियों के अनुरूप होगा।

(ग) यदि निर्धारित दिनों से अधिक विलंब होता है(परियोजना के चालू होने पर आधारित) तो लाइसेंसधारक के कारण विलम्ब होने के मामले में परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी अथवा नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से विलम्ब होता है तो परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जब्त नहीं की जाएगी।

(घ) प्राप्त हुई निर्धारित क्षति अथवा जब्त की गई परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा का प्रथम उपयोग परियोजना के दायित्वों, यदि कोई हो, का निपटान करने के लिए किया जाएगा। शेष राशि, यदि कोई हो, का समायोजन

परियोजना की लागत के प्रति किया जाएगा और इसका उपयोग लागत कम करने के लिए किया जाएगा।

(ड) चूंकि करार समाप्त करने का वही प्रभाव है जो लाइसेंस समाप्त करने का है इसलिए आयोग का पूर्वानुमोदन लेकर ही करार समाप्त किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारक परियोजना का परित्याग करता है तो परियोजना को केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तत्काल अपने कब्जे में ले लिया जाएगा।

4. पूर्ववर्ती शर्तें

इस उप-खण्ड में करार के पक्षों की पूर्ववर्ती शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी।

4.1 कंपनी की पूर्ववर्ती शर्तें

(ख) बोलीदाताओं को प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग दर कोट करने के लिए कहा जाएगा ताकि कंपनी को देय ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का भुगतान किया जा सके।

(ग) कंपनी ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है।

(घ) कंपनी ने केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा के खाते पर बैंक गारंटी दे दी है।

(ड) यदि कंपनी ने निर्माण ठेकेदार नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है तो उसके ठेकेदार का नाम और अन्य संगत ब्यौरे केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को सूचित कर दिए हैं।

(च) कंपनी ने सभी सहमतियां, अनुमोदन और परमिट या तो बिना शर्त प्राप्त किए हैं अथवा ऐसी शर्तों पर प्राप्त किए हैं जो इस करार के अधीन इसके अधिकारों अथवा इसके दायित्वों के निष्पादन पर वास्तविक रूप से पूर्वाग्रह नहीं बनते हैं।

(छ) कंपनी ने पर्यावरण और वन क्लीयरेंश प्राप्त कर लिया है।

4.2 केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी की पूर्ववर्ती शर्तें

इस करार के अधीन केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के दायित्व, जब तक केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा लिखित में निरस्त न कर दिए जाएं, कंपनी द्वारा कम से कम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन होते हैं :

(क) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने विद्युत(प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन सी.ई.ए. का तकनीकी-आर्थिक क्लीयरेंश, जहां लागू हो, प्राप्त कर लिया है।

(ख) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, लाभभोगियों और मददगार अथवा कारोबारी(यदि लागू हो) ने बल्क विद्युत ट्रांसमिशन करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ग) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी परियोजना के प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी।

[illegible] होगा।

(ख) दोनों पक्ष स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करने के लिए सहमत हो गए हों (आई.ए. में स्वतंत्र इंजीनियर की परिभाषा, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और इसकी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त प्रावधान होंगे), और

(ग) प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के संबंध में निदेशक मंडल का इस करार को कंपनी/पावर ग्रिड (जैसा भी मामला हो) के कार्यकरण, निर्वाह और कार्य निष्पादन को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज़ और परियोजना का प्रत्येक दस्तावेज प्राप्त हो गया हो।

4.4 पूर्ववती शर्तों का अधित्याग/संतुष्ट करने का दायित्व

प्रत्येक पक्ष इस करार के 6 माह के अंदर अपनी लागत और खर्चे पर उन पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के सभी उचित प्रयास करेगा जिन्हें पूरा करने के लिए वह जिम्मेदार है। प्रत्येक पक्ष लिखित में अन्य पक्ष को अधिसूचित करके उस सीमा तक किसी पूर्ववर्ती शर्त का अधित्याग कर सकता है जिसे उसके लाभ और संरक्षण के लिए शामिल किया गया है।

5. समाप्ति का अधिकारी

5.1 यदि करार की तारीख से 8 माह के अंदर पूर्ववर्ती शर्तें विधिवत पूरी नहीं की गई हैं अथवा उनका अधित्याग नहीं किया गया है तो कोई भी पक्ष लिखित में सूचना देकर करार समाप्त कर सकता है। यदि पूर्ववर्ती शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो सूचना की अवधि सहित करार की तारीख से 9 माह की अवधि के बाद करार समाप्त किया जा सकेगा।

6. परियोजना क्रियान्वयन और गारंटी जमा

6.1 केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा की मांगी जाने वाली बैंक गारंटी की राशि निर्दिष्ट करेगी। परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा की राशि की बैंक गारंटी कंपनी प्रदान करेगी। वित्तीय समापन में विलम्ब होने अथवा

7. परियोजना का विकास

(क) इस खण्ड में परियोजना के विकस और क्रियान्वयन में प्रत्येक पक्ष के विस्तृत दायित्वों का वर्णन किया जाएगा।

(ख) वाणिज्यिक प्रचालनों में विलंब के लिए निर्धारित क्षति परियोजना की अनुमानित लागत के प्रतिशत के रूप में तय की जाएगी जिसे केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तय किया जाएगा। यह निर्धारित प्रतिशत वाणिज्यिक प्रचालनों में विलम्ब होने के कारण होने वाली संभावित वित्तीय हानि के अनुरूप होगा।

(ग) यदि निर्दिष्ट दिनों (परियोजना के चालू होने पर आधारित) से अधिक विलम्ब होता है तो विकास प्रतिभूति (जिसे आयोग की अधिसूचना में "परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा" कहा गया है) जब्त कर ली जाएगी।

(घ) प्राप्त हुई निर्धारित क्षति और जब्त की गई परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा को परियोजना के प्रत्येक घटक में आनुपातिक रूप से बांट दिया जाएगा ताकि प्रत्येक घटक को वाणिज्यिक प्रचालन में हुए विलम्ब की क्षतिपूर्ति की जा सके। इस आनुपातिक विभाजन को करार में शामिल किया जाएगा।

(ड.) प्राप्त हुई निर्धारित क्षति और जब्त की गई परियोजना क्रियान्वयन गारंटी जमा का प्रथम उपयोग परियोजना की देयता, यदि कोई हो, का निपटान करने के लिए किया जाएगा। शेष राशि, यदि कोई हो, परियोजना की लागत के प्रति समायोजित की जाएगी और इसकी लागत कम करने के लिए उपयोग की जाएगी।

(च) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी की चूक के कारण वाणिज्यिक प्रचालनों में विलम्ब होने के लिए केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा कंपनी को देय निर्धारित क्षति भी सकल देयता की सीमा की शर्त के अध्यधीन परियोजना की अनुमानित लागत के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी।

8. परियोजना का निर्माण

के अनुसार किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अन्य पक्ष को लिखित में सूचना देकर समय-समय पर अपने 5 कर्मचारी नामित कर सके जो परियोजना से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा जो चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी के क्षेत्र में हर उचित समय जा सकेंगे, यह उचित सूचना अवधि की शर्त और उनके द्वारा सभी उचित सुरक्षा पद्धतियों का अनुपालन करने की शर्त के अध्यधीन है।

(ड.) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा विहित आवधिकता और ब्यौरे के अनुसार कंपनी प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को प्रदान करेगी।

9. परियोजना का प्रारंभ और कनैक्शन

(क) परियोजना को चालू करने के लिए सूचना अवधि तथा इंटर-कनैक्शन के साथ परियोजना को जोड़ने के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का निरीक्षण करने का पात्र होगी कि इन्टर-कनैक्शन सुविधा के साथ परियोजना को जोड़ने की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। यदि केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी निरीक्षण करने में विफल रहती है अथवा निरीक्षण करती है और तय करती है कि इन्टर-कनैक्शन सुविधा के साथ जोडने की अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं तो कंपनी तभी परियोजना को जोड़ने के लिए पात्र होगी, यदि स्वतंत्र अभियंताः

(i) लिखित में प्रणामित करता है कि उसके विचार में परियोजना को इन्टर-कनैक्शन सुविधा के साथ जोड़ा जा सकता है, और

(ii) लिखित में इस बात के कारण दे कि उसके विचार से केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा उठाई गई कोई आपत्ति तथ्यपरक नहीं है।

को पूरा करती है।

10. सुरक्षा नियम और पद्धतियां

10.1 कंपनी प्रयोज्य नियमों और विवेकी यूटिलिटी पद्धति के अनुसार सुरक्षा नियमों और पद्धतियों का अनुपालन करेगी।

11. बीमा

11.1 परियोजना के वित्तीय समापन की तारीख से 3 माह के अन्दर कंपनी क्रियान्वयन करार और ट्रांसमिशन सेवा करार की वैधता के दौरान विभिन्न जोखिमों के प्रति बीमा करायेगी और इसे बनाए रखेगी और यह बीमा ऐसा होना चाहिएः

(क) किसी भी वित्तीय करार

(ख) भारतीय कानून

(ग) विवेकी यूटिलिटी पद्धतियों के अनुसार

12. नियम में परिवर्तन

इस खण्ड में निम्नलिखित विस्तार से कवर किए जाएंगेः

(क) नियम में परिवर्तन की परिभाषा,

(ख) वे परिस्थितियां जिनके अधीन नियम प्रावधानों में परिवर्तन लागू होगा,

(ग) नियम में परिवर्तन अधिसूचित करने के बारे में प्रावधान, और

(घ) नियम में परिवर्तन होने के अनुसरण में करार में संशोधन करने के बारे में प्रावधान।

13. निरूपण और वारंटियां

13.1 कंपनी को केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी निरूपण और वारंट करेगा कि केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में उसके पास इस करार के अधीन अपने दायित्वों का कार्यकरण, निर्वाह और निष्पादन करने के लिए पूर्ण शक्ति तथा प्राधिकार है।

14. चूक होने पर समापन

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में पावर ग्रिड की सभी जिम्मेदारियां/दायित्व केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में उत्तरवर्ती पावर ग्रिड को अंतरित हो जाएंगी।

(ग) आयोग के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसा करार समाप्त नहीं होगा(यह आवश्यक है क्योंकि करार समाप्त होने के परिणामस्वरूप परियोजना केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को अंतरित हो जाएगी, जिसका तात्पर्य आयोग द्वारा जारी लाइसेंस समाप्त होना है)।

15. विवाद निराकरण

15.1 इस उप-खण्ड में विवाद तय करने से संबंधित सभी पहलू कवर किए जाएंगे और इसमें यह भी प्रावधान होगा कि टैरिफ सहित ऊर्जा के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित और लाइसेंस अथवा इसकी शर्तों और निबंधनों की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित सभी विवाद या विषमताएं जहां तक संभव होगा आपसी परामर्श/सुलह-समझौते द्वारा हल किए जाएंगे। यदि उपर्युक्त तरीके से इन विवादों अथवा विषमताओं को हल करने में पक्ष विफल रहते हैं तो इन्हें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13 के खण्ड(ज) के अनुसरण में माध्यस्थम अथवा न्यायनिर्णय हेतु आयोग को भेजा जाएगा।

16. गोपनीयता

16.1 कानून अथवा विनियामक प्राधिकारी या संभावित ऋण दाता अथवा कंपनी के निवेशकों या पक्षों के संबंधित व्यावसायिक सलाहकारों अथवा ऐसे ऋणदाताओं या निवेशकों द्वारा अपेक्षित को छोड़कर दोनों पक्षः

(क) इस करार के अधीन अथवा अनुसरण में हासिल किए गए कोई आंकड़े अथवा सूचना के बारे में सभी सूचनाओं को गोपनीय रखने का उचित प्रयास करेंगे;

(ख) इस करार के कारण उनके द्वारा अन्य उपक्रम के संबंध में आपस में प्राप्त किए गए दस्तावेज अथवा अन्य सूचना (तकनीकी अथवा वाणिज्यिक) का उपयोग पक्ष के दायित्वों के कार्य निष्पादन और इस करार के अधीन अधिकारों के प्रयोग से इतर किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे।

<u>अनुसूची</u>

1. परियोजना का कार्यक्षेत्र

क) प्रत्येक लाइन के अंतिम सिरे(टर्मिनल इण्ड), वोल्टेज स्तर और लम्बाई (व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार) का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। यदि कार्य में उप स्टेशन भी शामिल हैं तो ट्रांसफार्मरों की एम.वी.ए. क्षमता और वोल्टेज स्तर सहित उनकी संख्या, सम्बद्ध उपकरण सहित बे की संख्या, रेटिंग और वोल्टेज स्तर सहित रिएक्टरों की संख्या आदि का भी उल्लेख करना होगा।

ख) परियोजना के निष्पादन में शामिल व्यक्तिगत गतिविधियों की सूची भी बनाई जाए। तथापि, यह स्पष्ट कर दिया जाए कि समग्र रूप से कंपनी परियोजना के वित्त, निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।

2. कार्य निष्पादन विनिर्दिष्टियां

2.1 प्रस्ताव हेतु अनुरोध का दस्तावेज तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशक घटकों में यथा निर्दिष्ट।

खण्ड- V

ट्रांसमिशन सेवा करार

1. प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना में यह शामिल होगा कि

(क) यह करार केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा।

(ख) करार के प्रावधानों और आयोग द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों में असंगतता होने के मामले में आयोग की शर्तें और निबंधन लागू रहेंगे। इसी प्रकार आई.ई.जी.सी सहित विद्युत नियमों के प्रावधान असंगतता की सीमा तक अभिभूत होंगे।

2. परिभाषाएं

3.1 करार का अवधि ऐसा होगा कि यदि इस इस करार के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार पहले समाप्त नहीं किया जाता तो यह लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के साथ समाप्त होगी।

4. पूर्ववर्ती शर्तें

4.1 इस उप-खण्ड में इस करार के पक्षों की पूर्ववती शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी।

(क) कंपनी की पूर्ववर्ती शर्तें

इस करार के अधीन केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के दायित्व, जब तक केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा लिखित में निरस्त न कर दिए जाएं, कंपनी द्वारा कम से कम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन होते हैं:

(i) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख दी गई है;

(ii) कंपनी ने केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को प्रस्तावित प्रचालन और रखरखाव की पद्धति प्रदान कर दी है; और

(iii) यदि कंपनी का प्रचालन और रखरखाव ठेकेदार नियुक्त करने का प्रस्ताव है तो इसने केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को प्रचालन और रखरखाव ठेकेदार का नाम और अन्य ब्यौरा सूचित कर दिया है।

(ख) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी और कंपनी की पूर्ववर्ती शर्तें

इस करार के अधीन किसी भी पक्ष का दायित्व, जब तक संबंधित पक्ष द्वारा लिखित में निरस्त न कर दिया गया हो, अन्य पक्ष द्वारा कम से कम निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि की शर्त के अध्यधीन हैः

(i) दोनों पक्षों ने इस करार को करने के लिए दूसरे पक्ष के प्राधिकार के संबंध में सहमत प्रपत्र में, भारत में विधिक वकील की राय ले लेनी होगी।

प्रत्येक पक्ष इस करार के 6 माह के अंदर अपनी लागत और खर्च पर उन पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के सभी उचित प्रयास करेगा जिन्हें पूरा करने के लिए वह जिम्मेदार है। प्रत्येक पक्ष लिखित में अन्य पक्ष को अधिसूचित करके उस सीमा तक किसी पूर्ववर्ती शर्त(केवल एक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से संबंधित शर्त को छोड़कर) का अधित्याग कर सकता है जिसे उसके लाभ और संरक्षण के लिए शामिल किया गया है।

5. समाप्ति का अधिकारी

5.1 यदि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 8 माह के अंदर पूर्ववर्ती शर्तें विधिवत पूरी नहीं की गई हैं अथवा उनका अधित्याग नहीं किया गया है तो कोई भी पक्ष लिखित में सूचना देकर करार समाप्त कर सकता है।

6. परियोजना का प्रचालन और रखरखाव

6.1 इस उप-खण्ड में निम्नलिखित ब्यौरे समाहित किए जाएंगे

(क) कंपनी प्रयोज्य कानून, निर्माता की संस्तुति और विवेकी यूटिलिटी पद्धति के अनुसार अपनी लागत और खर्चे पर परियोजना का रखरखाव करेगी।

(ख) परियोजना का प्रचालन और रखरखाव केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी अपने किसी कर्मचारी को प्रचालन और रखरखाव पद्धतियों के अनुपालन का सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ लिखित में सूचना देकर परियोजना का निरीक्षण करने के लिए नामित करने की पात्र होगी।

(घ) कंपनी का जिन प्रचालन और रखरखाव पद्धतियों को अपनाने का प्रस्ताव है वह उन्हें तैयार करेगी तथा वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख से 180 दिन पूर्व अनुमोदनार्थ केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को प्रस्तुत करेगी। इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद 60 दिन के अंदर केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिखित में कंपनी को प्रस्तावित प्रचालन और रखरखाव पद्धति के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, अधिसूचित कर सकती है और संशोधन का सुझाव दे सकती है। दोनों पक्षों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और पक्ष उचित पूर्व सूचना देकर अन्य पक्ष के पास रखे रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है।

(च) कंपनी ट्रांसमिशन से इतर प्रयोजनार्थ ट्रांसमिशन परिसम्पत्तियों का इस शर्त के अध्यधीन उपयोग कर सकती है अथवा उपयोग करने की अनुमति दे सकती है कि ऐसा उपयोग ट्रांसमिशन क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और कि ऐसे उपयोग से होने वाले लाभों का बंटवारा आयोग के निर्णयानुसार ट्रांसमिशन परिसम्पत्तियों के लाभार्थियों में किया जाएगा।

(छ) आर.ई.बी. द्वारा आउटेज अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा (केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को कंपनी से परामर्श करना चाहिए और मामला आर.ई.बी. मंच पर ले जाना चाहिए)। जहां कहीं संभव हो, इमेरजेंसी आउटेज पर केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ चर्चा करनी चाहिए। आउटेज प्राप्त करने और सभी प्रकार के आउटेज के बाद ऊर्जाकरण के लिए संबंधित आर.एल.डी.सी. द्वारा अनुमति जारी की जाएगी।

(ज) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी प्रचालन और रखरखाव ठेकेदारों के लिए अर्हताएं तय करे और कंपनी केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को सूचित करते हुए इन

अर्हताओं को पूरा करने वाले किसी ठेकेदार को प्रचालन और रखरखाव ठेका दे सकती है।

(झ) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी ट्रांसमिशन परिसम्पत्तियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें सामान्यतः रखरखाव हेतु साथ-साथ बाहर नहीं निकाला जा सकता। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऐसी कुछ समयावधि (महीने/मौसम) भी निर्दिष्ट कर सकती है जब किसी घटक के संबंध में सामान्यतः अनुसूचित रखरखाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी से अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए कह सकती है।

सहमति और आयोग के पूर्वानुमोदन के बाद किया जाएगा।

7. उपलब्धता की गणना

7.1 उपलब्धता की गणना याचिका संख्या 12/99, 13/99,14/99 और 16/99 में दिनांक 26 सितम्बर, 2000 के आयोग के आदेश के अनुसार की जाएगी। पूर्ण निर्धारित प्रभारों की रिकवरी के लिए प्रासमिक उपलब्धता 98% अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा तय की हुई होगी।

8. ट्रांसिमशन सेवा प्रभार की स्थापना

8.1 इस उप-खण्ड में ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों के बारे में निम्नलिखित प्रावधान होंगेः

(क) बोलीदाताओं से प्रत्येक घटक के लिए अलग से दर कोट करने के लिए कहा जाएगा ताकि वार्षिक आधार पर ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का भुगतान किया जा सके और इसमें निम्नलिखित घटक होंगेः

(i) रूपये का सूचकांकन विहीन घटक,

(ii) रूपये का घरेलू मुद्रास्फीति के प्रति सूचकांकित घटक(सूचकांकन के लिए फार्मूला केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा), और

(iii) विदेशी मुद्रा घटक (कोई सूचकांकन अनुमत नहीं। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी इस घटक के लिए ऊपरी सीमा निर्दिष्ट करे)।

(ख) बोलीदाताओं से प्रत्येक घटक के लिए अलग से दर कोट करने के लिए कहा जाएगा ताकि प्रत्येक घटक के लिए ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का भुगतान किया जा सके। इन ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का योग किया जाएगा ताकि परियोजना के लिए ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों का हिसाब लगाया जा सके।

(ग) ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों की अदायगी भारतीय रूपयों में की जाएगी। विदेशी मुद्रा घटक की गणना भुगतान विनिमय दर के अनुसार की जाएगी। मुद्रास्फीति से सम्बद्ध रूपये घटक में वृद्धि की गणना आयोग के दिनांक 21.12.2000 के आदेश और बाद की दिनांक 26.3.2001 की अधिसूचना में

(च) प्रासमिक उपलब्धता से कम उपलब्धता हासिल करने के लिए आनुपातिक आधार पर ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों में कमी के रूप में हतोत्साहन होगा।

(छ) ऋण पत्र के माध्यम से भुगतान के मामले में 2.5% की छूट अनुमत होगी, अन्यथा बिलों को प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर भुगतान करने के लिए एक प्रतिशत की छूट होगी। ट्रांसमिशन सेवा प्रभारों के भुगतान में विलंब होने पर 1.5 प्रतिशत का दंड लगेगा।

9. सुरक्षा नियम और पद्धतियां

9.1 कंपनी प्रयोज्य नियमों और विवेकी यूटिलिटी पद्धतियों के अनुसार सुरक्षा नियमों और पद्धतियों का अनुपालन करेगी।

10. बीमा

10.1 परियोजना अथवा परियोजना घटक, जैसा भी मामला हो, की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व कंपनी विभिन्न खतरों के प्रति प्रचालन अवधि के दौरान बीमा और ऐसा बीमा जो निम्नलिखित के लिए अपेक्षित/आवश्यक है, लागू रखेगी

(क) कोई भी वित्तीय करार

(ख) भारत का नियम

(ग) विवेकी यूटिलिटी पद्धतियों के अनुसार

11. निरूपण और वारंटियां

11.1 केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को निरूपण और वारंट देगा कि केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में उसके पास इस करार के अधीन अपने दायित्वों का कार्यकरण, निर्वाह और कार्य निष्पादन करने के लिए पूर्ण शक्ति और प्राधिकार हैं।

12. नियम में परिवर्तन

12.1 यह उप-खण्ड विस्तार से निम्नलिखित कवर करेगा

(क) नियम में परिवर्तन की परिभाषा.

13.1 इस उप-खण्ड में निम्न सूची होगी:

(क) कंपनी और केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के चूक के मामले में समाप्ति पद्धति और करार समाप्त होने पर परिसम्पत्तियों के अंतरण का विस्तार से वर्णन किया जाएगा,

(ख) पावर ग्रिड का केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में स्तर समाप्त होना केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी की चूक नहीं होगा। ऐसे मामले में केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में पावर ग्रिड की सभी जिम्मेदारियां/दायित्व केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में पावर ग्रिड के उत्तराधिकारी को अंतरित की जाएंगी, और

(ग) आयोग के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसा करार समाप्त नहीं होगा(यह आवश्यक है क्योंकि करार समाप्त होने के परिणामस्वरूप परियोजना केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को अंतरित हो जाएगी, ज़िसका तात्पर्य आयोग द्वारा जारी लाइसेंस समाप्त होना है)।

14. विवाद निराकरण

14.1 इस उप-खण्ड में विवाद तय करने से संबंधित सभी पहलू नामतः परामर्श, न्यायनिर्णय और माध्यस्थम कवर किए जाएंगे। इस उप-खण्ड में यह भी प्रावधान होगा कि टैरिफ सहित ऊर्जा के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित और लाइसेंस अथवा इसकी शर्तों और निबंधनों की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित सभी विवाद या विषमताएं जहां तक संभव होगा आपसी परामर्श/सुलह समझौते द्वारा हल किए जाएंगे। यदि उपर्युक्त तरीके से इन विवादों अथवा विषमताओं को हल करने में पक्ष विफल रहते हैं तो इन्हें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13 के खण्ड(ज) के अनुसरण में माध्यस्थम अथवा न्यायनिर्णय हेतु आयोग को भेजा जाएगा।

15. गोपनीयता

(ख) इस करार के कारण उनके द्वारा अन्य उपक्रम के संबंध में आपस में प्राप्त किए गए दस्तावेज अथवा अन्य सूचना (तकनीकी अथवा वाणिज्यिक) का उपयोग पक्ष के दायित्वों के कार्य निष्पादन और इस करार के अधीन अधिकारों के प्रयोग से इतर किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे।

बशर्ते कि ये प्रावधान उस सूचना के लिए लागू नहीं होगे जो सूचना सार्वजनिक करने के समय जनता को उपलब्ध थी लेकिन इसमें वह सूचना शामिल नहीं है जो गोपनीयता के पूर्व के दायित्वों के अतिक्रमण में सार्वजनिक कर दी गई थी।

15.2 ये प्रावधान करार समाप्त होने पर लागू रहेंगे लेकिन करार समाप्त होने की तारीख के पांचवे वर्ष की उसी तारीख से निष्प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची-2

ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्रपत्र

परियोजना का विवरण जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस मांगा गया है:

(क) लाइन का नाम

वोल्टेज क्लास

कि.मी. में लम्बाई

सर्किट (एस/सी अथवा डी/सी)

(ख) उप स्टेशन का नाम:

वोल्टेज स्तर :

i) आवेदक का नाम

ii) पता

iii) नाम, पदनाम एवं पता
जिससे संपर्क किया जा सके

iv) संपर्क टेलीफोन नं0

v) फैक्स नं0

vi) ई मेल/पता :

vii) समावेशन/पंजीकरण का स्थान :

viii) समावेशन/पंजीकरण का वर्ष :

ix) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें-

(क) पंजीकरण का प्रमाण-पत्र :

(ख) आवेदक अथवा उसके

प्रोमोटर की वचनबद्धता के लिए हस्ताक्षरकर्ता की मूल पावर ऑफ अटर्नी :

(ग) आयकर पंजीकरण का विवरणः

(घ) आयात लाइसेंस का विवरण, यदि कोई हो, तो :

आवेदक का पिछला अनुभवः

[आवेदक अथवा जे.वी.सी./संघ (जैसा भी लागू हो) के मामले में प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से भरा जाना है]

(i) ट्रांसमिशन और/अथवा विकसित वितरण परियोजना(ओं) का नाम :

टेलीफोन नं0 :

फैक्स नं0 :

(iv) ग्राहक कंपनी(यों) का नाम एवं पते जिसके लिए परियोजना(एं) विकसित की गईं :

(v) ग्राहक कंपनी(ओं) के संदर्भित व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता :

टेलीफोन नं0 :

फैक्स नं0 :

(vi) उपर्युक्त परियोजना(ओं) में आवेदक का विस्तृत कार्य-क्षेत्र :

(vii) कंपनी का नाम एवं प्रकार, जिसके नाम में परियोजना(ओं) को प्रमोट किया गया है :

(viii) निर्माण-कार्य प्रारंभ करने की तिथि :

(क) निर्धारित तिथि
(ख) वास्तविक तिथि
पूरा करने की तिथि
(क) निर्धारित तिथि
(ख) वास्तविक तिथि

(ix) विकसित परियोजना की पूरी लागत (भारतीय रूपयों के बराबर, विदेशी मुद्रा में इक्विटी सम्मेलन/ऋण लेने के समय मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तन किया जाएगा।)

(x) मालिक/ग्राहक, जिसके लिए परियोजना(ओं) को प्रमोट किया गया है, से उपर्युक्त सभी विवरण के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं।

(xi) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम पावर यूटिलिटी के स्वामी हैं और 220 के.वी. अथवा उच्च वोल्टेज स्तर की ट्रांसमिशन लाइनों का अनुरक्षण कर रहे हैं। हमारे द्वारा रखे गए एवं कायम की गई सभी ट्रांसमिशन लाइनों एवं 220 के.वी. अथवा उच्च वोल्टेज स्तर के उप-स्टेशनों का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है(यथा लागू) :

क्र.सं.	लाइन का नाम	एस/सी अथवा डी/सी	वोल्टेज स्तर	लाइन की लम्बाई (कि.मी. में)	राज्य/देश का नाम जहां लाइन स्थित है।
1					
2					
3					
4					

क्र.सं.	उप स्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मर्स, कक्षों, रिएक्टरों इत्यादि की संख्या	वोल्टेज स्तर	एम.वी.ए. अथवा एम.वी.ए.आर.	राज्य/देश का नाम जहां उप-स्टेशन स्थित है।
1					
2					
3					
4					

आवेदक के वित्तीय-आंकड़ो का विवरण
(आवेदक अथवा जे.वी.सी./संघ(जैसा भी लागू हो) के मामले में प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से भरा जाना है।)

(i) पिछले 5(पांच) वित्तीय वर्षों के लिए निवल मूल्य (भारतीय रूपयों के बराबर-प्रत्येक वर्ष के अंत में मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तन किया जाएगा)(यथा लागू वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)

(क) वर्ष 1( ) से ( ) ---------
(ख) वर्ष 2( ) से ( ) ---------
(ग) वर्ष 3( ) से ( ) ---------
(घ) वर्ष 4( ) से ( ) ---------
(ङ) वर्ष 5( ) से ( ) ---------

(च) उपर्युक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोट अथवा प्रमाणित लेखा-परीक्षा परिणामों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।

(ii) पिछले 5(पांच) वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक टर्न ओवर (भारतीय रूपयों के बराबर-प्रत्येक वर्ष के अंत में मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तन किया जाएगा)(यथा लागू वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)
(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)

	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनिमय दर	भारतीय/रूपयों के बराबर
(क) वर्ष 1( ) से ( )	---------	---------	---------

(ख) वर्ष 2( ) से ( ) ---------- ---------- ----------
(ग) वर्ष 3( ) से ( ) ---------- ---------- ----------
(घ) वर्ष 4( ) से ( ) ---------- ---------- ----------
(ड.) वर्ष 5( ) से ( ) ---------- ---------- ----------

(च) उपर्युक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट अथवा प्रमाणित लेखा-परीक्षा परिणामों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।

(iii) उपर्युक्त के समर्थन में दस्तावेजों की सूची
दस्तावेज का नाम
(क) ----------
(ख) ----------
(ग) ----------

(ख) कुल इक्विटी की प्रतिशतता(लगभग) ------%

(v) यदि आवेदक किसी अन्य एजेंसी से गठबंधन को प्रस्तावित करता है, तब उस वित्तीय एजेंसी का नाम एवं पता:
(क) अन्य एजेंसी के संदर्भित व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता:
(ख) टेलीफोन नं0:
फैक्स नं0:
(ग) ई-मेल/पता:
(घ) अन्य एजेंसी से प्रस्तावित इक्विटी:
(क) राशि (लगभग):
(ख) कुल इक्विटी की प्रतिशतता(लगभग): ---------%
(ग) मुद्रा, जिसमें इक्विटी प्रस्तावित की गई है:
(ड.) उपर्युक्त के लिए अन्य एजेंसी के आवेदक के साथ सम्बद्ध होने के सहमति पत्र को भी संलग्न किया जाए।

(vi) आवेदक और अन्य एजेंसी के मध्य प्रस्तावित गठबंधन की प्रकृति।

(vii) परियोजना के लिए प्रस्तावित ऋण का बिवरणः

(क) ऋणदाता का विवरणः

(ख) ऋण-पैंकेज का विवरण जिसमें ऋण की राशि, मुद्रा, ऋण, की अवधि, ब्याज की दर, अप-फ्रंट फीस, वचनबद्धता प्रभारों इत्यादि को दर्शाया गया हो।

(ग) क्या ऋण के लिए अन्य एजेंसी से कोई गारंटी मांगी गई है।
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन को समुचित समय में प्राप्त करना होगा और सी.टी.यू./आयोग को भेजना होगा)

(viii) क्या आवेदक ई.पी.सी. संविदा से संबंधित
कार्य क्षेत्र को स्वयं निष्पादित करेगाः

(ix) यदि आवेदक किसी ई.पी.सी. ठेकेदार

(घ) उपर्युक्त के लिए अन्य एजेंसी के
आवेदक के साथ सम्बद्ध होने के सहमति
पत्र को भी संलग्न किया जाए :

(xi) आवेदक की संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमताः
(आवेदक को इस परियोजना के लिए प्रस्तावित विभिन्न कार्यपालक कार्मिकों की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना एवं पाठ्य-विवरण के रूप में अपनी संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता का साक्ष्य संलग्न करना होगा)

(x) दृष्टिकोण एवं कार्य-प्रणालीः
(आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमिशन प्रणाली के स्थापन के लिए, दृष्टिकोण एवं कार्य-प्रणाली का विवरण देना अपेक्षित है)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांकः---------- स्थान

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा प्रमाण-पत्र

(1)	आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि	
(2)	क्या भारतीय विद्युत ग्रिड कोड(आई.ई.जी.सी.) में निर्धारित योजना नीति को अपनाया गया है?	हां/नहीं
(3)	क्या आवेदक द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटक पावर ग्रिड कारपारेशन ऑफ इंडिया लि0(पावर ग्रिड) से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा निष्पादन के लिए अ.रा.ट्रां.प्र. के पूर्व निर्धारित घटकों के अंग हैं?	हां/नहीं
(4)	क्या पावर ग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं के चयन के	हां/नहीं
(7)	क्या प्रस्तावित परियोजना के लाभभोगियों से समुचित मंच पर परामर्श किया गया?	हा/नहीं
(8)	क्या आवेदक तकनीकी रूप से सक्षम है?	हां/नहीं
(9)	क्या आवेदक वित्तीय रूप से सक्षम है?	हां/नहीं
(10)	क्या लाइसेंस देने के लिए अनुमोदित है? (संक्षेप में कारण दें)	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी

दिनांकः----------
स्थानः----------

अनुसूची-3

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली
ट्रांसमिशन लाइसेंस

1. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (इसे इससे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27-ग के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इसे इसमें आगे "आयोग" कहा गया है, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने की पद्धति, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम 2001 के भाग-III के अंतर्गत निर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तों जो इस लाइसेंस के अनिवार्य अंग के रूप में पढ़े जाएंगे के अधीन, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यटिलिटी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन समय-समय पर यथा संशोधित इस लाइसेंस के प्रावधान लागू होंगे।

3. यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय है।

4. लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्रदान करना, अनुसूची में विवरणित परियोजना से भिन्न ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार में किसी भी रूप में बाधक नहीं होगा या उसके अधिकार को सीमित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी किसी एकाधिकार का दावा नहीं करेगा।

5 लाइसेंस, इसके जारी होने की तारीख से प्रारंभ होगा और जब तक पहले रद्द नहीं किया जाता, अनुसूचित तारीख अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख, जो पहले हो, से 30(तीस) वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेगा।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक ----------

सचिव

अनुसूची

4.0 परियोजना से संबंधित विवरण:

परियोजना में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः———————

सचिव

ए. के. सचान, सचिव